सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-5090/MH/509/2025-RO-BH/RU-I **दिनांक: 28.04.2026**

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-पालघर,
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय,
पालघर-बोईसर रोड, कोलगांव,
पालघर-401404, महाराष्ट्र
ई-मेल:collector.palghar@maharashtra.gov.in

विषय: गैर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा कर बनाई गयी बिल्डिंग हटाकर जमीन आदिवासी को वापस करने के संबंध में डॉ. सुनील बालकृष्ण प-हाड़, सचिव, आदिवासी एकता परिषद, महाराष्ट्र, ग्राम व पोस्ट-गंजाड़, तालुका-डहाणु, जिला-पालघर, महाराष्ट्र का दिनांक 08.04.2025 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 23.02.2026** को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

डॉ. सुनील बालकृष्ण प-हाड़,
सचिव, आदिवासी एकता परिषद,
ग्राम व पोस्ट-गंजाड़, तहसील-डहाणू,
जिला-पालघर, महाराष्ट्र
ई-मेल: drsunilparhad11@gmail.com

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-5090/MH/509/2025-RO-BH/RU-I
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई-I

मौजे खानपाडा, तालुका पालघर, जिला पालघर में स्थित भूमि भूमापन एवं उपविभाग क्रमांक 13/5 (पुराना 13/2), क्षेत्रफल 0.58.40 हे.आर. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाये गये भवन को हटाकर अनुसूचित जनजाति के वयक्ति को भूमि वापस करवाने के संबंध में डॉ. सुनील बालकृष्ण प-हाड़, सचिव, आदिवासी एकता परिषद, महाराष्ट्र, ग्राम व पोस्ट-गंजाड़, तालुका-डहाणु, जिला-पालघर, महाराष्ट्र के अभ्यावेदन दिनांक 08.04.2025 पर दिनांक 23.02.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग की तिथि: 23.02.2026
सिटिंग की अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय
उपस्थित अधिकारी/प्रतिभागी: (अनुलग्नक-I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को डॉ. सुनील बालकृष्ण पहाड़, सचिव, आदिवासी एकता परिषद, जिला पालघर (महाराष्ट्र) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। अभ्यावेदन में बताया गया कि मौजे खानपाडा, तालुका पालघर, जिला पालघर में स्थित भूमि भूमापन एवं उपविभाग क्रमांक 13/5 (पुराना 13/2), क्षेत्रफल 0.58.40 हे.आर. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति श्री किशोर लडकू वधान की है, जो कोली-मल्हार अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व की भूमि है।

प्रश्नागत भूमि महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 36 एवं 36A के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए संरक्षित भूमि है। अभ्यावेदन के अनुसार गैर-जनजातीय व्यक्ति नारायण प्रकाश मुधाले द्वारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्का भवन निर्माण किया जा रहा है। आवेदक द्वारा वर्ष 2017 से लगातार राजस्व विभाग को शिकायतें दी गईं, परंतु अब तक अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने आयोग से अनुरोध किया है कि अवैध कब्जा हटाकर भूमि पुनः मूल भूमि मालिक को वापस दिलाई जाए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 09.06.2025 को जिला कलेक्टर, पालघर को नोटिस जारी किया गया था। इसके उत्तर में जिला कलेक्टर, पालघर द्वारा दिनांक 14.08.2025 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

गया। प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित भूमि सर्वे क्रमांक 13/5 (पुराना 13/2) क्षेत्रफल 0.58.40 हे.आर. श्री किशोर लाडकू वधान एवं अन्य के नाम दर्ज है। यह भूमि उनके पूर्वजों द्वारा तहसीलदार कृषि भूमि न्यायाधिकरण के.वी./32(सी)/70/1962 के अंतर्गत विरासत में प्राप्त की गई थी तथा यह महाराष्ट्र भूमि राजस्व अधिनियम, 1966 की धारा 36 एवं 36A के अंतर्गत संरक्षित आदिवासी भूमि है।

प्रतिवेदन में उल्लेख है कि वर्ष 2018 में ग्राम राजस्व अधिकारी तथा भूमि अभिलेख विभाग द्वारा उक्त भूमि पर अनधिकृत निर्माण की सूचना दी गई थी। तत्पश्चात अतिरिक्त तहसीलदार (गैर-कृषि) द्वारा महाराष्ट्र भूमि राजस्व अधिनियम, 1966 की धारा 45 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया।

वर्तमान में उक्त भूमि पर चार भवन निर्मित पाए गए हैं, जिनमें से तीन ग्राउंड फ्लोर तथा एक ग्राउंड + तीन मंजिला इमारत है, जिनमें आवासीय फ्लैट बने हुए हैं। कुछ फ्लैटों में परिवार निवास कर रहे हैं तथा कुछ किराये पर दिए गए हैं। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि भूमि साझा है तथा खाताधारकों के बीच अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। यह भी बताया गया कि कथित रूप से एक परिजन द्वारा भूमि का हिस्सा गैर-जनजाति के व्यक्ति को विक्रय करने के बाद उक्त निर्माण कराया गया।

तहसीलदार पालघर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अनधिकृत निर्माण के संबंध में अंतिम कार्रवाई से पूर्व उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, पालघर द्वारा भूमि का विधिवत सीमांकन (Measurement) किया जाना आवश्यक है।

6. दिनांक 23.02.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सुनवाई की अध्यक्षता की गई। सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर कार्यलय, पालघर, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि श्री श्याम मदनुरकर, उप-मंडल अधिकारी, पालघर तथा याचिकाकर्ता डॉ. सुनील बालकृष्ण पहाड़ उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि तथा जिला कलेक्टर, पालघर महाराष्ट्र कार्यालय से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि है अवगत कराया गया है कि प्रकरण में भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने हेतु उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, पालघर को भूमि की मोजणी (सीमांकन) करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रकरण महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत तहसीलदार, पालघर के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई दिनांक 20.02.2026 को निर्धारित की गई है।

आयोग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी के पक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न अनुशंसा माननीय आयोग द्वारा की गई है:

1. आयोग यह अनुशंसा करता है कि जिला कलेक्टर, पालघर यह सुनिश्चित करें कि उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, पालघर द्वारा भूमि की मोजणी (सीमांकन) की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए तथा महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत तहसीलदार, पालघर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण कर समेकित प्रतिवेदन एक माह के भीतर आयोग को प्रस्तुत किया जाए।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

2. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा यदि गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को विक्रय किया गया है, तो इसकी पूर्व अनुमति जिला कलेक्टर एवं राजस्व विभाग, महाराष्ट्र शासन द्वारा जिन शर्तों पर प्रदान की गई है, उनके पालन की वस्तुस्थिति आयोग को प्रदान की जाये।

3. भूमि विक्रय के उपरान्त अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति भूमिहीन तो नहीं हो गया है, वस्तुस्थिति से आयोग को अवगत कराया जाये।

4. राजस्व रिकॉर्ड में जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया गया है, उसके भूमि उपभोग की वर्तमान स्थिति से आयोग को अवगत कराया जाये।

5. भूमि उपभोग परिवर्तन एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा जिला कलेक्टर तथा राजस्व विभाग की अनुमति के बिना यदि भवन निर्माण कर फ्लैट का विक्रय किन दस्तावेजों पर करते हुए उनका पंजीयन तथा विद्युत एवं अन्य सुविधाओं हेतु कनेक्शन किन दस्तावेजों के आधार पर राजकीय विभागों द्वारा प्रदान किये गये है, आयोग को मय साक्ष्यों के अवगत कराया जाये।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/DEV-5090/MH/509/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 23.02.2026

विषय: गैर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा कर बनाई गयी बिल्डिंग हटाकर जमीन आदिवासी को वापस करने के संबंध में डॉ. सुनील बालकृष्ण प-हाड़, सचिव, आदिवासी एकता परिषद, महाराष्ट्र, ग्राम व पोस्ट-गंजाड़, तालुका-डहाणु, जिला-पालघर, महाराष्ट्र का दिनांक 08.04.2025 का अभ्यावेदन के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 23.02.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट,
पालघर, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	Shyam madhavan	SDM Palghar		[illegible]
2.	Sameer Maher	SDPO palghar	9208056759	[illegible]
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	Dr Sunil B. Parhad	Secr, IUC	8805459002	[illegible]
2.	कैलास ल. चोरे	farmer	9270000559	[illegible]
3.				
4.				